मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं–3/10 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 26.08.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान सैक्टर कार्यालय खनन परियोजना, ग0म0वि0नि0लि0, सुद्धोवाला चौक, सुद्धोवाला, देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं–3/10 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में सैक्टर कार्यालय खनन परियोजना, ग0म0वि0नि0लि0, सुद्धोवाला चौक, सुद्धोवाला, देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 25.07.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के

महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यकम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुकम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार. द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 23.4 है0 है। जो कि ग्राम सुद्धोवाला एवं ईस्ट होपटाउन, तहसील विकास नगर, देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय-समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 5.51 लाख वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है-

२

क भूमिका की अभिव्य

जिलाधिकारी (वित्त
के परियोजना के
में व्यक्त करें
गयेगा।

तिनिधि
वगत
व

श्री चन्द्रपाल पुण्डीर (पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सहसपुर) निवासी सुद्धोवाला द्वारा लोक सुनवाई का स्वागत किया गया एवं खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि नदी में खनन बन्द होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, खनन सामग्री की कमी हो गयी है एवं सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। नदी में खनन न होने से नदी का स्तर बढ़ गया है, जिससे बरसात में बाढ़ से खेत, सड़क आदि का कटाव हो रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को जान माल का खतरा बना रहता है। उनके द्वारा कहा गया कि वन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों में ढलान होने के कारण कम गहराई में खनन होना चाहिए जबकि नदी के स्तर समतल होने पर अधिक गहराई से खनन होना चाहिए। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि नदी के बीचोंबीच गहराई तक खनन होना चाहिए, जिससे नदी का बहाव बीच में होगा, जिससे कटाव तथा बाढ़ का खतरा नहीं होगा। भूमि कटाव रोकने हेतु खनन कार्य अनिवार्य है। खनन कार्य होने से खनिज के दामों में भी कमी आयेगी तथा राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन का ठेका किसी व्यक्ति विशेष को न देकर स्वयं गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीब परिवारों को इसका लाभ मिले तथा क्षेत्रवासियों को सस्ती दरों पर खनन सामग्री का लाभ मिल सके।

2. **श्री विरेन्द्र सिंह थापली (पूर्व जिला पंचायत सदस्य) निवासी सुद्धोवाला** द्वारा कहा गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने से अवैध खनन किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे गांव में 60 प्रतिशत लोग बरोजगार हैं, यदि नदी में वैध खनन शुरू हो जाता है तो गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, उनको रोजगार प्राप्त होगा तथा मकान, मन्दिर, धर्मशाला, सड़कों के निर्माण आदि के लिये बाहर से खनिज सामग्री नहीं मंगानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त ट्रक, ट्राली, बुग्गी चलाने वालों को रोजगार प्राप्त होगा तथा सस्ती दरों पर खनन सामाग्री प्राप्त होगी। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा ही खनन किया जाना चाहिए।

3. **ज्ञानचन्द निवासी सुद्धोवाला** द्वारा पूछा गया कि खनन से स्थानीय गांव को क्या लाभ मिलेगा? एवं स्थानीय निवासियों को मकान आदि बनाने के लिये खनन सामग्री में छूट हेतु क्या प्राविधान है?

4. **धमेन्द्र, निवासी सुद्धोवाला** खनन कार्य शुरू किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

5. **ओमप्रकाश, निवासी नंदा की चौकी** द्वारा कहा गया कि बेरोजगारी से बहुत समस्याऐं हो रही हैं, इसलिये खनन खुलना चाहिए। उनके द्वारा खनन कार्य वैध तरीके से किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों

को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुकम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुकम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)
अनु0 सहा0

(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

26.8.11
(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून

26 08 2014

टौंस नदी के लाट क्र० 3/10 में चुगान / खनन हेतु दिनांक 26/08/2014 प्रातः 11 बजे स्थान- सैनटर कार्यालय (वन परीक्षण (HMVN) सुद्धोवाला में हुई लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की उपस्थिति पत्रिका :-

क्र०	नाम व पद	पता	फोन नं०	हस्ताक्षर
1)	श्री० प्रताप सिंह शाह (Admn A/R)	जिला प्रशासन देहरादून	9756666555	
2)	श्री० सुभाष पंवार (क० अधिकारी)	प्रदू० नि० बोर्ड दे० दून	9410393548	
(3)	श्री० सुनील सकलानी (अनु० सहा०)	प्रदू० नि० बोर्ड देहदून	9634377820	
4)	विवेक कुमार (Asst. manager)	GRC India PLTD (Noida).	8377078376	
5)	वर्गीस माथ्यू (Asst-Manager)	GRC India Ltd. Noida	8860056978	
(6)	विजय कुमार. (Asst. manager)	GRC Dehradun	9528553227	
(7)	Bobby	सुद्धोवाला	9557912323	BS
(8)	हरिसिंह	सुद्धोवाला	—	हरिसिंह
(9)	लाला	सुद्धोवाला	—	LALA

	नाम व पद	पता	फोन नं०	हस्ताक्षर
11	चन्द्र पाल	सुखीमाला	—	चन्द्र…
12	राम गोपाल	सुखोवाला	—	रामगोपाल
13	रविकुमार	भाववाला	—	रवि कुमार
14	जितेन्द्र	सुखोवाला	—	जितेन्द्र
15	श्रीपति	सुखोवाला	—	श्रीपति
16	धर्मेन्द्र	आववाला	—	Dharmendra
17	पाला	आववाला	—	पाला
18	जुगल तिवारी	आववाल	—	जुगल तिवारी
19	सोनवीर	नन्दा चौकी	—	सोनवीर
20	जोगेन्द्र सिंह	नन्दा चौकी	—	जोगेन्द्र सिंह
21	भगवानदास	नन्दा की चौकी	—	भगवानदास
22	अर्जुन	नन्दा की चौकी	—	अर्जुन
23	ओमप्रकाश शर्मा	नन्दा की चौकी	—	ओमप्रकाश
24	रामप्रसाद	नन्दा की चौकी	—	रामप्रसाद
25	रघुवीर	नन्दा की चौकी	—	रघुवीर

नाम व पद	पता	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
26 उमा शंकर	सुद्धोवाला	9319630637	S.Singh
27 S.S. Panwar	Sudhowala	9897077803	[illegible]
28 ~~सुद्धोवाला~~ रतन चंद	सुद्धोवाला	—	[illegible]
29 Anand Singh	"	9897079821	A.Singh
30 Rajesh Kumar	Sudhowala	9837294907	[illegible]
31 आबिद	सुद्धोवाला	—	[illegible]
32 Arif आरिफ	सुद्धोवाला	—	Arif
33 [illegible]	[illegible]	—	[illegible]
34 सतीश कुमार	[illegible]	9411361796	[illegible]
35 [illegible]	सुद्धोवाला [illegible]	—	[illegible]
36 [illegible]	[illegible]	9897776028	[illegible]
37 [illegible]	G.M.V.N. Ltd	—	[illegible]
38 B.S. Rawat	G.M.V.N. Ltd	7895105305	[illegible]
39 [illegible]	[illegible]	—	[illegible]
40 सावन पुण्डीर	सुद्धोवाला	—	[illegible]

क्र०सं०	नाम व पद	पता	मोबाइल नं०	ह०
41	जगदीश नौगांवां	कण्वघाटी	9412028849	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	—	ओम
43	सतीश [illegible]	[illegible]		[illegible]
44	निरंजन शर्मा	[illegible]	9897730856	[illegible]
45	चन्द्रमणि [illegible] पूर्व प्रधान	[illegible]	9412803971	[illegible]
46	सुरेन्द्र सिंह अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस [illegible]	कांडा [illegible]	9897340386	[illegible]
47	[illegible] सिंह रावत	[illegible]	9012280350	[illegible]
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				

गढवा… नं-3/ दि…